

कार्यालय कलेक्टर (विकास) जिला सिवनी (म0प्र0)
::-आदेश:-

क्रमांक / ११४५ /अधी./जि.पं./2020

सिवनी, दिनांक २६/०३/२०२०

जिले में कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस समयावधि में आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित उचित मूल्यों पर निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। इस संबंध में यदि किसी विक्रेता/संग्रहकर्ता द्वारा कालाबाजारी अथवा उचित मूल्यों से अधिक दर पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त संबंध में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी अथवा उचित मूल्य से अधिक दर पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, तो इसकी सूचना निम्न अधिकारियों को उनके समक्ष दर्शित मोबाईल नम्बर पर दी जा सकती है :-

1. श्री रवि मुरकुटे परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सिवनी 8839842312
2. श्री ओमेश्वर सूर्यवंशी जिला समन्वयक जिला पंचायत सिवनी ९९८७२०९३४३


(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर

जिला - सिवनी

पृ.क्रमांक / ११४५ /अधी./जि.पं./2020

सिवनी, दिनांक २६/०३/२०२०

1. पुलिस अधीक्षक जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).....समस्त जिला-सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार समस्त..... जिला-सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी सिवनी की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. थाना प्रभारी..... समस्त जिला-सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्री रवि मुरकुटे परियोजना अधिकारी/श्री ओमेश्वर सूर्यवंशी जिला समन्वयक जिला पंचायत सिवनी की ओर पालनार्थ अग्रेषित।


कलेक्टर
जिला - सिवनी